इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 अक्टूबर 2010—आश्विन 30, शक 1932

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2010

क्र. ई. 1-364-2010-5-एक .—श्री एम. गोपालरेड्डी, भाप्रसे (1985), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, भोपाल की सेवाएं भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को संयुक्त सचिव, गृह मामलों का मंत्रालय, नई दिल्ली के पद पर नियुक्ति के लिए कार्यमुक्त होने के दिनांक से सौंपी जाती हैं.

क्र. ई. 1-365-2010-5-एक .—श्री राघवचन्द्रा, भाप्रसे (1982), राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त तथा धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व विभाग (अति. प्र.) की सेवाएं भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को संयुक्त सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली के पद पर नियुक्ति के लिए कार्यमुक्त होने के दिनांक से सौंपी जाती हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2010

क्र. एफ-2-22-2009-तेरह.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 82 की उपधारा (5) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री आर. सी. साहनी, आय. ए. एस. (से. नि.) को मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग का अध्यक्ष पदाभिहीत करता है.

उपरोक्त नियुक्ति निद्युत् अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 82, 84, 85, 86, 89 एवं 90 में उल्लेखित निबंधनों के अधीन होगी. आयोग के अध्यक्ष को मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवाशर्तें) नियम, 2000 के अंतर्गत वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी.

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2010

क्र. 7522-एफ-2-20-तेरह-97.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री पंकज अग्रवाल (भाप्रसे), अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर को आगामी आदेश तक अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मण्डल का प्रभार भी तत्काल प्रभाव से सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद सुलेमान, सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर 2010

क्र. एफ 1 (ए)-40-2003-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, होशंगाबाद को दिनांक 16 मई 2008 से 24 जून 2008 तक, कुल चालीस दिवस के लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि श्री सक्सेना यदि उक्त अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

3. श्री सक्सेना, भापुसे को उक्त अवकाश की अवधि में वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो अवकाश पर जाने के पूर्व प्राप्त कर रहे थे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश ओगरे, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर, 2010

फा. क्र. 17 (ई) 35-2010-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, श्री अखिल कुमार श्रीवास्तव, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की सेवाएं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल में विधि अधिकारी के पद पर, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर, 2010

फा. क्र. 17 (ई) 79-2008-इक्कीस-ब (दो).—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 जुलाई 2008 श्री राजेश कुमार गुप्ता, अधिवक्ता, निवासी हनुमान मोहल्ला, तहसील राजपुर, जिला बड़वानी को तहसील राजपुर में नोटरी व्यवसाय करने के लिये नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था परन्तु माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर द्वारा रिट याचिका क्रमांक 3870/2010 में पारित आदेश दिनांक 21 अप्रैल 2010 द्वारा दिये गये निर्देश के परिपालन में तथा नोटरीज नियम, 1956 के नियम 3 की उपधारा (1) के प्रावधानों तथा न्याय दृष्टांत केदाननाथ शर्मा विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य एम. पी. एच. टी. पेज 284 के प्रतिपादित विधि के सिद्धान्तों के अनुसार श्री राजेश कुमार गुप्ता, नोटरी अधिवक्ता के रूप में जिला बड़वानी का नोटरी नियुक्ति आदेश दिनांक 5 जून 2008 नोटरी नियुक्ति आवेदन प्रस्तुति के समय श्री राजेश कुमार गुप्ता को 10 वर्ष से अधिक के विधिक अनुभव की अर्हता प्राप्त न होने से निरस्त किया जाकर, उनका नाम नोटरी पंजी से विलोपित किया जाता है. अतः इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 1 जुलाई 2008 निरस्त किया जाता है.

फा. क्र. 1(बी)-43-04-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 सितम्बर 2006 द्वारा नियुक्त श्री इन्द्रसिंह गुर्जर, अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, (फास्ट ट्रेक कोर्ट) मुरैना के कार्यकाल दिनांक 3 सितम्बर 2007 को समाप्त होने के पश्चात् दिनांक 4 सितम्बर 2007 से 3 सितम्बर 2010 तक की औपचारिक कार्यकाल अभिवृद्धि पश्चात् उनके कार्यकाल में दिनांक 4 सितम्बर 2010 से 3 सितम्बर 2013 तक की कार्यकाल अभिवृद्धि करता है. यह अभिवृद्धि इस शर्त के अधीन है कि यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. वर्मा, सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-25-44-2010-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई वन भूमि/बंजर भूमि पर लागू होने की घोषणा इन शर्तों के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों एवं समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर रूपभेदित किये जाएं, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जावेंगे :—

अनुसूची

जिला—छतरपुर, तहसील—बिजावर, वनमंडल—छतरपुर, वन परिक्षेत्र—किशनगढ़

क्र.	वनखण्ड का नाम	वन या बंजर भूमि का नाम	खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)	सीमाऐं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पलकोंहा	1. राजस्व भूमि ग्राम सुकवाहा	71 भाग	5.892	**उत्तर**—वन कक्ष क्रमांक पी 535 के मुनारा क्रमांक 46 से 43 तक.
			72 भाग	6.879	**पूर्व**—वन कक्ष क्रमांक पी 535 के मुनारा क्रमांक 43 से प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 एवं 4 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
			73	16.187	
			74	12.142	
			75	12.140	**दक्षिण**—प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4 से 14 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
			76 भाग	16.167	
			78 भाग	7.097	**पश्चिम**—प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 14 से 15 एवं वन कक्ष क्रमांक पी 525 के मुनारा क्रमांक 53 तक कृत्रिम सीमा रेखा एवं वन कक्ष क्रमांक पी 525 के मुनारा क्रमांक 53 से 50 एवं वन कक्ष क्रमांक पी 535 की सीमा से होकर मुराना क्रमांक 49 तक. वन कक्ष क्रमांक पी 535 के मुनारा क्रमांक 49 से प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 48 ए एवं वन कक्ष क्रमांक पी 535 के मुनारा क्रमांक 47 तक कृत्रिम सीमा रेखा तथा वन कक्ष क्रमांक पी 535 के मुनारा क्रमांक 47 से 46 तक.
			79 भाग	5.788	
			82 भाग	0.566	
			126	9.105	
			125/2	0.405	
			125/3	0.129	
			125/4	0.365	
			125/5	0.040	
			125/6	0.040	
		योग वन खण्ड पलकोंहा		**92.942**	
2	देवरा ''अ''	2. राजस्व भूमि ग्राम सुकवाहा	111	11.796	**उत्तर**—प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 3 एवं कक्ष क्रमांक पी 442 के मुनारा क्रमांक 119 तक कृत्रिम सीमा रेखा. कक्ष क्रमांक पी 442 के मुनारा क्रमांक 119 वन कक्ष की सीमा से लगकर प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4 से 8 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
			112	15.911	
			113	15.155	
			114	8.142	
			115	9.205	**पूर्व**—प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 8 से 14 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
			116	7.702	
			117	7.843	
			118	8.033	**दक्षिण**—प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 14 से 15 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
			119	7.875	**पश्चिम**—प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 15 से 23 तक श्यामरी नदी की प्राकृतिक सीमा एवं मुनारा क्रमांक 23 से 24 एवं 1 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
		योग वन खण्ड देवरा ''अ''		**91.662**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	किशनगढ़ ''अ''	3. राजस्व भूमि ग्राम सुकवाहा	276	12.143	**उत्तर**—प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 3 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
			275 भाग	3.020	**पूर्व**—प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से 5 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
			योग . .	**15.163**	**दक्षिण**—प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 5 से वन कक्ष क्रमांक पी 509 के मुनारा क्रमांक 52 तक तथा वन कक्ष क्रमांक पी 510 की सीमा से होकर प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 6 तक.
					पश्चिम—प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 6 से 7 एवं 1 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
4	किशनगढ़ ''ब''	3. राजस्व भूमि ग्राम घुघरी	2	6.625	**उत्तर**—श्यामरी नदी के किनारे से प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 17 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
			3	14.172	**पूर्व**—प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 17 से 64 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
			4	7.543	**दक्षिण**—वन कक्ष क्रमांक पी 524 ए तथा पी 523 की उत्तरी सीमा पर नाला किनारे तथा सड़क के सहारे प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 64 से 82 तक कृत्रिम सीमा रेखा. प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 82 से 87 तक कृत्रिम सीमा रेखा. वन कक्ष क्रमांक पी 523 एवं पी 322 की उत्तरी सीमा पर प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 87 से 90 तक कृत्रिम सीमा रेखा. प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 90 से 118 तक कृत्रिम सीमा रेखा श्यामरी नदी तक.
			5	7.543	
			6	12.140	
			7	9.105	
			8	8.454	
			9	8.369	
			10	9.105	
			11	12.140	
			13	16.187	
			14	12.140	
			15	14.977	
			16	11.181	**पश्चिम**—प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 118 से 121 तक श्यामरी नदी के किनारे एवं मुनारा क्रमांक 121 से 129 एवं 1 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
			162	12.140	
			163	16.936	
			161	16.187	
			158/1	7.652	
			159	17.708	
			160 भाग	11.793	
			169	16.187	
			185/1	11.553	
			199	8.094	
			198/1	14.944	
			165	4.245	
			168/1	7.365	
			167/1	3.092	
			180/1	13.326	
			182	9.105	
			183	12.140	
			181	12.140	
			184	12.545	
			187/1	13.059	
			197/2	0.518	
			197/3	4.411	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			197/4	0.514	
			197/5	0.607	
			197/6	0.898	
			203	16.187	
			204	16.187	
			206	16.187	
			207	16.187	
			208	11.202	
			209 भाग	12.269	
			17	11.117	
			18	14.156	
			19	7.579	
			20/1	6.779	
			21	5.050	
			22	12.634	
			23	14.087	
			24	12.844	
			25	14.808	
			26/1	11.719	
			179	12.234	
			योग . .	**588.066**	
	5. राजस्व भूमि ग्राम भौरखुआँ		107	8.874	
			108	4.244	
			109	7.869	
			110	12.140	
			111	12.140	
			112	5.867	
			113 भाग	6.757	
			114	8.094	
			115	8.094	
			116	2.425	
			117	1.853	
			118	5.272	
			119 भाग	6.049	
			120 भाग	5.665	
			योग . .	**95.345**	
		योग वनखण्ड किशनगढ़		**698.572**	
			महायोग. .	**883.176**	

वनीकरण का कारण.—उक्त गैर वनभूमि गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित वनभूमि के बदले वन विभाग को हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्राप्त होने से संरक्षित वन बनाये जाने का प्रस्ताव अधिसूचना हेतु तैयार किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-25-44-2010-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ-25-44-दस-3-2010 दिनांक 6 अक्टूबर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

Bhopal, the 6th October 2010

No. F-25-44-2010-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the provisions of chapter IV of the Said Act applicable to the forest land/waste land, specified in the Schedule below subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner except in so for as they may be modified by the State Government from time to time :—

SCHEDULE

District—Chhatarpur, Forest Division—Chhatarpur, Tehsil—Bijawar, Forest Range—Kishangarh

S. No.	Name of Forest Block	Name of Forest or Waste Land	Khasra Number	Area (in Hectare)	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Palkoha	1. Revenue Land Village Sukwaha	71 Part	5.892	**North.**—Pillar number 46 to 43 of forest compartment number P 535. **East.**—Artificial boundary line from pillar number 43 of forest compartment number P 535 to proposed forest block pillar number 1 to 4. **South.**—Artifical boundary line from proposed forest block pillar number 4 to 14. **West.**—Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 14 to 15 and pillar number 53 of forest compartment number P 525 pillar No. 53 to 5. of forest compartment number P 525 and through boundary up to pillar number 49 of forest compartment.number P 535. Artificial boundary line from pillar number 49 of forest compartment number P 535 to proposed forest block pillar number 48 A and pillar 47 of forest compartment number P 535. Pillar number 47 to 46 of forest compartment number P 535.
			72 Part	6.879	
			73	16.187	
			74	12.142	
			75	12.140	
			76 Part	16.167	
			78 Part	7.097	
			79 Part	5.788	
			82 Part	0.566	
			126	9.105	
			125/2	0.405	
			125/3	0.129	
			125/4	0.365	
			125/5	0.040	
			125/6	0.040	
		Total Forest Block Palkoha		**92.942**	
2	Devra "A"	2. Revenue Land Village Sukwaha	111	11.796	**North.**—Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 1 to 3 and pillar number 119 of forest compartment number 442. Artificial boundary line from pillar number 119 of forest compartment number P 442 and through forest compartment
			112	15.911	
			113	15.155	
			114	8.142	
			115	9.205	
			116	7.702	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			117	7.843	boundary upto proposed forest block pillar number 4 to 8.
			118	8.033	**East.**—Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 8 to 14.
			119	7.875	**South.**—Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 14 to 15.
		Total Forest Block Devra "A"		**91.662**	**West.**—Natural boundary of Shyamri River from proposed forest block pillar number 15 to 23 and artificial boundary line from pillar number 23 to 24 and 1.
3	Kishangarh A	3. Revenue Land Village Sukwaha	276	12.143	**North.**—Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 1 to 3.
			275 Part	3.020	**East.**—Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 3 to 5.
		Total		**15.163**	**South.**—Proposed forest block pillar number 5 to pillar number 52 of forest compartment number P 509 and through boundary of forest compartment number P 510 up to proposed forest block pillar number 6.
					West.—Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 6 to 7 and 1.
4	Kishangarh B	4. Revenue Land Village Ghunghari	2	6.625	**North.**—Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 1 to 17 on the bank of Shyamri River.
			3	14.172	**East.**—Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 17 to 64.
			4	7.543	**South.**—Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 64 to 82 on northern Boundary of forest compartment number P 524 A and P 523 beside the canal and along the road. Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 82 to 87. Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 87 to 90 on northern boundary of forest compartment number P 523 and P 522. Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 90 to 118 upto Shyamari River.
			5	7.543	
			6	12.140	
			7	9.105	
			8	8.454	
			9	8.369	
			10	9.105	
			11	12.140	
			13	16.187	
			14	12.140	
			15	14.977	
			16	11.181	
			162	12.140	
			163	16.936	
			161	16.187	
			158/1	7.652	**West.**—Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 118 to 121 beside Shyamari. River and Artificial boundary line from pillar number 121 to 129 and pillar number 1.
			159	17.708	
			160 Part	11.793	
			169	16.187	
			185/1	11.553	
			199	8.094	
			198/1	14.944	
			165	4.245	
			168/1	7.365	
			167/1	3.092	
			180/1	13.326	
			182	9.105	
			183	12.140	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			181	12.140	
			184	12.545	
			187/1	13.059	
			197/2	0.518	
			197/3	4.411	
			197/4	0.514	
			197/5	0.607	
			197/6	0.898	
			203	16.187	
			204	16.187	
			206	16.187	
			207	16.187	
			208	11.202	
			209 Part	12.269	
			17	11.117	
			18	14.156	
			19	7.579	
			20/1	6.779	
			21	5.050	
			22	12.634	
			23	14.087	
			24	12.844	
			25	14.808	
			26/1	11.719	
			179	12.234	
		Total		**588.066**	
		5. Revenue	107	8.874	
		Land Village	108	4.244	
		Bhorkhuan	109	7.869	
			110	12.140	
			111	12.140	
			112	5.867	
			113 Part	6.757	
			114	8.094	
			115	8.094	
			116	2.425	
			117	1.853	
			118	5.272	
			119 Part	6.049	
			120 Part	5.665	
		Total		**95.345**	
		Total Forest Block Kishangarh		**698.572**	
		Grand Total		**883.176**	

Reason for afforestation.—Above non forest land has been allotted and transferred to Forest Department for carrying out compensatory afforestation in exchange of equal area of diverted forest land. Notification proposal for protected forest has been prepared.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
V. N. PANDAY, Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला कटनी, मध्यप्रदेश

कटनी, दिनांक 17 सितम्बर 2010

क्र. 76680-एस.डब्ल्यू.-2010 .—इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 6798-एस. डब्ल्यू.-2010 कटनी, दिनांक 20 अगस्त, 2010 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के रिट पिटीशन नं. 10255-2010 में पारित आदेश दिनांक 12 अगस्त, 2010 के अनुसरण में एवं दिनांक 27 अप्रैल 2010 एवं दिनांक 18 अगस्त, 2010 को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय व राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 के कि. मी. 368/2 पर स्थित कटनी नदी के पुल का संयुक्त निरीक्षण टीप प्रतिवेदनानुसार उक्त पुल 100 वर्ष से भी अधिक पुराना होने से एवं पुल अपनी आयु पूर्ण कर लेने से भारी वाहनों के आवागमन के योग्य न होने के कारण किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुये लोक सुरक्षा की दृष्टि से दुर्घटनाओं के नियंत्रण हेतु मो. या. अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं सहपठित म. प्र. मो. या. नियम, 1994 के नियम 215 के अनुसरण में उक्त पुल से भारी वाहनों का आवागमन एक माह (अवधि 20 अगस्त, 2010 से 18 सितम्बर, 2010 तक) के लिये प्रतिबंधित किया गया है.

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-6799-एस. डब्ल्यू.-2010 कटनी, दिनांक 20 अगस्त, 2010 द्वारा एक माह से अधिक अवधि तक के लिये प्रतिबंधित किये जाने हेतु राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन हेतु उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, भोपाल (मध्यप्रदेश) को भेजा गया है. उक्त प्रतिबंधित आदेश राजपत्र में प्रकाशन संबंधी अधिसूचना प्राप्त न होने पर उक्त आदेश की अवधि पुनः एक माह (अवधि 19 सितम्बर, 2010 से 20 अक्टूबर, 2010 तक) के लिये बढ़ाई जाती है..

यह आदेश तत्काल प्रभावशील है.

एम. सेलवेन्द्रन, जिला मजिस्ट्रेट.

कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी, जिला सतना, मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 22 सितम्बर 2010

क्र. 8-एस.डब्ल्यू.-2010-531 .—इस कार्यालय के आदेश क्र. 479-8-एस.डब्ल्यू-10, सतना, दिनांक 3 सितम्बर 2010 द्वारा जिले के नगरीय क्षेत्रों से 5.00 कि.मी. सीमा के अन्दर तथा उसके आसपास डेयरी लकड़ी के टाल, स्टोन, क्रेसर स्थापित करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है.

सार्थक स्टोन मिल द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार मटेहना ग्राम में स्टोन क्रेसर स्थापित किया जाना है. चूंकि ग्राम मटेहना को क्रेसर जोन बनाया गया है और वह सतना नगरीय क्षेत्र से 5.00 कि.मी. की परिधि के अन्दर है. अतः उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये 5.00 कि.मी. के स्थान पर नगरीय क्षेत्र से 3.00 कि.मी. की सीमा निर्धारित की जाती है.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

सुखवीर सिंह, जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश

जबलपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2010

क्र. 1591-क्षेपअ-2010 .—जबलपुर शहर में भारी वाहनों के कारण आए दिन गंभीर दुर्घटनाओं के कारण शहर में नागरिकों के सुचारू आवागमन तथा यातायात व्यवस्था में कठिनाई आने की जानकारी स्थानीय समाचारपत्रों व विभिन्न माध्यमों से लगातार प्राप्त हो रही है. कई घटनाओं में दिन के समय भारी वाहनों के शहर में प्रवेश करने से नागरिकों की मृत्यु तक हुई है जिसके कारण कानून व्यवस्था की अप्रिय स्थिति निर्मित होती है.

अतः, उक्त गंभीर मुद्दे पर जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक दिनांक 3 अगस्त 2010 को सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया है तथा नगर के सघन एवं व्यस्ततम मार्गों पर तथा यातायात के सुचारू संचालन हेतु जनहित में सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 तथा मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार प्रकार के भारवाही वाहनों का प्रवेश जबलपुर नगर निगम सीमा में प्रातः 6.00 बजे से लेकर रात्रि 9.00 बजे तक प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक हो गया है. अतः उक्त धाराओं के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार निम्नानुसार आदेश लागू किया जाता है :—

1. भारी माल वाहक जैसे ट्रक/डम्फर, मध्यम भार क्षमता के ट्रक, कृषि कार्यों से भिन्न प्रयोजन के प्रयोग में लाये जा रहे ट्रेक्टर. नगर निगम सीमा में प्रवेश प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे.

2. निम्न मार्गों पर नो एंट्री से दोपहर 2.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक छूट रहेगी :—

   ए. बाईपास मार्ग तथा पाटन बाईपास चौराहा से चंडालभाटा ट्रांसपोर्ट नगर मार्ग.

   बी. कछलपुरा माल गोदाम से मेहता पेट्रोल पंप, एम.आर. 4, अहिंसा चौक, स्टेट बैंक चौक होते हुए दीनदयाल चौक तक.

3. आवश्यक सेवाओं में लगे निम्नलिखित वाहनों को उक्त प्रतिबंधित आदेश से पूर्णतः मुक्त रखा जाता है :—

1. दुग्ध वाहन.
2. नगर निगम की स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन.
3. पुलिस वाहन.
4. फायर ब्रिगेड.
5. पानी टेंकर.
6. आर्मी के वाहन.
7. विद्युत मंडल के कार्य में संलग्न वाहन.
8. एल. पी. जी./पैट्रोलियम पदार्थ वाहन.

यह आदेश दिनांक 25 सितम्बर 2010 से प्रभावशील होगा.

इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त आदेश निरस्त समझे जावें.

उक्त आदेश में विशेष परिस्थितियों में विभागीय अधिकारी की अनुशंसा पर वाहन विशेष को निश्चित समय में छूट हेतु अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को अधिकृत किया जाता है.

यह आदेश दिनांक 25 अक्टूबर 2010 तक प्रभावशील रहेगा.

गुलशन बामरा, जिला दण्डाधिकारी.

मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर 2010

क्र. 301-001-97.—मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आदेश क्र. एफ 5-4-2004-उन्तीस-2, दिनांक 28 जनवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निर्देशित किया जाता है कि श्री बसंतीलाल अग्रवाल, सदस्य, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, नीमच अपने वर्तमान प्रभार के साथ-साथ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, मंदसौर में आवश्यकतानुसार आयोजित बैठकों में अध्यक्ष, जिला फोरम, मंदसौर के साथ भाग लेकर प्रकरणों की सुनवाई करेंगे. यह व्यवस्था जिला फोरम, मंदसौर में सदस्य की नियुक्ति अथवा अन्य आदेश तक प्रभावशील रहेगी.

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य आयोग के आदेशानुसार,
महेश प्रसाद अवस्थी, रजिस्ट्रार.

कार्यालय, जिला कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 7 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-2(क)-2-08-बी-3 दो.—भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2010 मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का संख्याक 2) की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक अपांतरण करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से :—

(1) नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में वर्णित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करती है, और

(2) उक्त सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को उक्त सारणी के कॉलम (3) में वर्णित पुलिस थानों में सम्मिलित करती है :—

सारणी

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिससे अपवर्जित किया गया (1)	ग्रामों के नाम व बन्दोबस्त मोहल्ले (2)			पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें सम्मिलित किया गया (3)
	क्र.	मोहल्ले का नाम	वार्ड नं. / बन्दोबस्त क्र.	
थाना एम. आय. जी. कॉलोनी तहसील इन्दौर जिला-इन्दौर	1	स्कीम नं. 74 सी	36 / 125	पुलिस थाना विजयनगर तहसील-इन्दौर जिला-इन्दौर
	2	स्कीम नं. 54	36 / 125	
	3	विजयनगर	36 / 125	
	4	विजयनगर एस्कटेंशन	36 / 125	

(1)	(2)		(3)
5	बड़ी भमोरी	33	125
6	अंजनी नगर	33	125
7	न्यू अंजनी नगर	33	125
8	रामनगर	33	125
9	कैलाश का भट्टा	33	125
10	सेठी नगर	30	125
11	सेठी संबंध नगर	30	125
12	मैकेनिक नगर ए. बी. सेक्टर	33	125
13	मालवीय नगर, गली नं. 1, 2, 3, 4	41	29
14	न्यू मालवीय नगर	41	29
15	सोलंकी नगर	41	29
16	चन्द्र नगर ए. बी. सी. डी. सेक्टर	41	30
17	अनिल नगर	41	29
18	महेश बाग	41	29
19	अंबिका नगर	41	29
20	श्रीराम नगर	41	29
21	कल्प काम धेनु नगर	41	29
22	रवि जागृति नगर	41	29
23	गुरु नगर	41	29
24	श्रद्धा श्री ए-सेक्टर	41	29
25	कृष्णबाग कॉलोनी	41	29
26	सुन्दर नगर	41	29
27	शांतिदीप कॉलोनी	41	29
28	अनुराग नगर	41	29
29	स्वर्ण बाग कॉलोनी	41	29
30	राधे विहार कॉलोनी	41	29
31	संयोगपुरी	41	29
32	बर्फानी धाम नगर	41	29
33	श्रद्धा श्री बी-सेक्टर	41	29
34	गणेश नगर	41	29
35	शीतल नगर, ए-सेक्टर	39	29
36	गंगादेवी नगर	39	29
37	भाग्यश्री	39	29
38	सुमन नगर	39	29
39	जय अम्बे बाग	39	29
40	जैन मंदिर	39	29
41	शीतल नगर, बी-सेक्टर	39	29
42	आदर्श मेघदूत नगर	39	29
43	न्यू शीतल नगर	39	29
44	न्यू मेघदूत नगर	39	29
45	चित्रा नगर	39	29
46	पटेल नगर	39	29
47	पुष्प कुंज कॉलोनी	42	29
48	रिंग रोड	41	29
49	स्कीम नं. 94 रिंग रोड	39	29

No. F-2 (k) 2-08-B-3-Two.—Bhopal, dated 30th July 2010, Government of Madhya Pradesh, Home (Police) Department in exercice of the powers conferred by clause (S) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and in partial modification of the previous notification affecting the local areas specified in the Table below, the State Government, hereby, with effect from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette" :—

(1) Excludes from the Police Station mentioned in column (1) of the Table below the local areas specified in column (2) thereof, and

(2) Includes of the local areas specified in column (2) of the said Table in the Police Station mentioned in column (3) of the said Table :—

TABLE

Name of police Station and District from which excluded (1)	Local area Name of Village and settlement halka number - ward number (2)			Name of the Police Station (with Tehsil and District) in which included (3)
		Ward No.	settlement No.	
Thana M.I.G. Colony, Tehsil Indore, District Indore.	1 Scheme No. 74-C	36	125	Thana Vijay Nagar, Tehsil Indore, District Indore
	2 Scheme No. 54	36	125	
	3 Vijay Nagar	36	125	
	4 Vijay Nagar Extension	36	125	
	5 Badi Bhamori	33	125	
	6 Anjani Nagar	33	125	
	7 New Anjani Nagar	33	125	
	8 Ram Nagar	33	125	
	9 Kailash ka Bhatta	33	125	
	10 Sethi Nagar	30	125	
	11 Sethi Sambanadh Nagar	30	125	
	12 Mechanic Nagar A,B,C Sector.	33	125	
	13 Malviya Nagar, Gali No. 1, 2, 3, 4	41	29	
	14 New Malviya Nagar	41	29	
	15 Solanki Nagar	41	29	
	16 Chandra Nagar A, B, C, D Sector	41	30	
	17 Anil Nagar	41	29	
	18 Mahesh Bagh	41	29	

(1)	(2)		(3)
19	Ambika Nagar	41	29
20	Shri Ram Nagar	41	29
21	Kalpkam Dhenu Nagar	41	29
22	Ravi Jagrati Nagar	41	29
23	Guru Nagar	41	29
24	Sharddha Shri A Sector	41	29
25	Krishna Bagh Colony	41	29
26	Sunder Nagar	41	29
27	Shantideep Colony	41	29
28	Anurag Nagar	41	29
29	Swarn Bagh Colony	41	29
30	Radhe Vihar Colony	41	29
31	Sanyog Puri	41	29
32	Barfani Dham Nagar	41	29
33	Sharddha Shri Nagar B Sector	41	29
34	Ganesh Nagar	41	29
35	Sheetal Nagar, A Sector	39	29
36	Gangadevi Nagar	39	29
37	Bhagya Shri	39	29
38	Suman Nagar	39	29
39	Jay Ambe Bagh	39	29
40	Jain.Mandir	39	29.
41	Sheetal Nagar, B Sector	39	29
42	Aadarsh Meghdoot Nagar.	39	29
43	New Sheetal Nagar	39	29
44	New Meghdoot Nagar	39	29
45	Chitra Nagar	39	29
46	Patel Nagar	39	29
47	Pushp Kunj Colony	42	29
48	Ring Road	41	29
49	Scheme No. 94 Ring Road.	39	29

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राघवेन्द्र कुमार सिंह, कलेक्टर/उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 19 जुलाई 2010

क्र. 873-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अन्तर्गत संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	झिरन्या	देवित खुर्द (पुरक प्रकरण)	0.324	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र-19, भीकनगांव.	अपरवेदा परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, अपरवेदा परियोजना भीकनगांव मुख्यालय-खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-19, भीकनगांव के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 10 सितम्बर 2010

प्र.क्र.-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम नं. (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम नं. (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम नं. (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होगें, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	सिरोंज	प्यासी	0.253	भू-अर्जन अधिकारी, सिरोंज	लोक निर्माण विभाग अन्तर्गत अनूपपुर महाराजपुर चौराहा से चौपना-प्यासी झण्डवा मार्ग के निर्माण हेतु.
		योग . .	0.253		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है—अनूपपुर, महाराजपुर चौराहा से चौपना-प्यासी झण्डवा मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, सिरोंज में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 10 सितम्बर 2010

क्र. भू-अर्जन-2010-570.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने क्रमांक (3) से (6) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (8) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, खाने नम्बर (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का विवरण हैक्टर में				
			शासकीय	निजि	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
शाजापुर	सुसनेर	देवपुर	–	14.06	14.06	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, आगर.	पीलिया खाल बांध नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

शाजापुर, दिनांक 27 सितम्बर 2010

क्र. भू-अर्जन-2010-587.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने क्रमांक (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, खाने की नम्बर (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	शुजालपुर	रूगनाथपुरा	4.845	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर.	रूगनाथपुरा तालाब में डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि का अधिग्रहण.

नोट.—भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2010-583.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने क्रमांक (3) से (6) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (8) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, खाने नम्बर (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का विवरण हैक्टर में				
			शासकीय	निजि	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
शाजापुर	नलखेड़ा	सुईगांव	-	1.799	1.799	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, आगर.	पिलियाखाल बांध निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2010-585.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने क्रमांक (3) से (6) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (8) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, खाने नम्बर (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का विवरण हैक्टर में				
			शासकीय	निजि	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
शाजापुर	नलखेड़ा	धन्डेड़ा	-	0.44	0.44	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, आगर.	पिलियाखाल बांध निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2010-586.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने क्रमांक (3) से (6) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (8) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, खाने नम्बर (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का विवरण हैक्टर में				
			शासकीय	निजि	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
शाजापुर	सुसनेर	फरसपुरा	-	0.32	0.32	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, आगर.	फरसपुरा बांध निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2010-588.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने क्रमांक (3) से (6) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (8) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, खाने नम्बर (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का विवरण हैक्टर में				
			शासकीय	निजि	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
शाजापुर	सुसनेर	खनोटा	-	0.18	0.18	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, आगर.	खनोटा बांध नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2010-589.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने क्रमांक (3) से (6) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (8) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, खाने नम्बर (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का विवरण हैक्टर में				
			शासकीय	निजि	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
शाजापुर	नलखेड़ा	ड़िगोन	-	0.780	0.780	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, आगर.	पिलियाखाल बांध निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 11 सितम्बर 2010

क्र. 2314-भू.अ.अ.-2010-11-प्र.क्र.-अ-82-वर्ष 2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के

खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील का नाम	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	बटियागढ़	बटियागढ़ शेखपुरा कुम्हरवार	कुल भूमि 58.49 योग . . 58.49	कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह.	शेखपुरा जलाशय योजना एवं नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखंड हटा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग, हटा जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2315-भू.अ.अ.-2010-11-प्र.क्र.-अ-82-वर्ष 2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील का नाम	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	हटा	सुनेरा दमोतीपुरा	कुल भूमि 3.11 योग . . 3.11	कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह.	बराना जलाशय योजना की नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखंड हटा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग, हटा जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2316-भू.अ.अ.-2010-11-प्र.क्र.-अ-82-वर्ष 2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील का नाम	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	हटा	वर्धा, पौड़ी	कुल भूमि 52.42 योग. . 52.42	कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह.	पवैया जलाशय योजना की नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखंड हटा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग, हटा जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दमोह, दिनांक 11 सितम्बर 2010/13-10-2010

क्र. 2317-भू.अ.अ.-2010-11-प्र.क्र.-अ-82-वर्ष 2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन सार्वजनिक प्रयोजन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील का नाम	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	हटा	रनेह रमपुरा	कुल भूमि 25.54	कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह.	कचौरा जलाशय योजना एवं नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
			योग . . 25.54		

(1) भूमि प्रयोजन के लिये भूमि की, भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखंड हटा एवं कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग, हटा, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. सिंह सलूजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 30 सितम्बर 2010

क्र. 9937-प्र.भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	सागर	मौकलपुर	20	2.26	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर (म. प्र.)	मोकलपुर जलाशय नहर निर्माण के भू-अर्जन बावत.
		करैया	18	2.13		
		योग .	.38	4.39		

नोट:— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में देखा जा सकता है.

क्र. 9954-प्र.भू-अर्जन-09-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	सागर	शोभापुर	3	0.48	अनुविभागीय अधिकारी लो. नि.वि.(भ/स) उपसंभाग, सागर.	सागर, बरेली-सुलतानगंज मार्ग योजना.

नोट—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय सागर में देखा जा सकता है.

सागर, दिनांक 8 अक्टूबर 2010

क्र. क-10156-प्र.भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	गढ़ाकोटा	परासिया	19	2.90	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म.प्र.)	रहली विकासखण्ड के अन्तर्गत चनौआ बुजुर्ग जलाशय के नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. 10157-प्र.भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	गढ़ाकोटा	बाछलोन	70	24.20	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म.प्र.)	रहली विकासखण्ड के अन्तर्गत चनौआ बुजुर्ग जलाशय के शीर्ष कार्य (बांध) एवं नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. क-10163-प्र.भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	सागर	अमावनी	28	5.08	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म.प्र.)	सागर विकासखण्ड के अन्तर्गत अमावनी जलाशय के शीर्ष कार्य (बांध) एवं नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. क-10164-प्र.भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	गढ़ाकोटा	चनौआ बुजुर्ग	28	4.90	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म.प्र.)	रहली विकासखण्ड के अन्तर्गत चनौआ बुजुर्ग जलाशय के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. क-10165-प्र.भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	गढाकोटा	टडा सौजनावार	64	32.26	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म.प्र.)	रहली विकासखण्ड के अन्तर्गत निपानिया जलाशय के शीर्ष कार्य (बांध) एवं नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. 10166-प्र.भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	सागर	खांड़	108	7.30	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म.प्र.)	शेखपुर जलाशय योजना नहर आर.बी.सी. एवं एल.बी.सी. के निर्माण में आने वाली निजी भूमि इत्यादि का भू-अर्जन प्रकरण.

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), सागर में देखा जा सकता है.

क्र. 10167-प्र.भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	सागर	खांड़	37	25.99	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म.प्र.)	शेखपुर जलाशय योजना शीर्ष कार्य के निर्माण में आने वाली निजी भूमि इत्यादि का भू-अर्जन प्रकरण.

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), सागर में देखा जा सकता है.

क्र. 10168-प्र.भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	सागर	बेलईमाफी	31	2.85	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म.प्र.)	शेखपुर जलाशय योजना नहर आर.बी.सी. के निर्माण में आने वाली निजी भूमि इत्यादि का भू-अर्जन प्रकरण.

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), सागर में देखा जा सकता है.

क्र. 10169-प्र.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	सागर	पगारा	30	3.106	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर.	पगारा जलाशय नहर निर्माण के भू-अर्जन बावत्.
		योग . .	30	3.106		

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), सागर में देखा जा सकता है.

क्र. 10170-प्र.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	सागर	बिंदवास	13	1.80	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर, (म.प्र.).	सूखा नाला जलाशय के नहर निर्माण के भू-अर्जन बावत्.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), सागर में देखा जा सकता है.

क्र. 10171-प्र.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	सागर	हीरापुर	28	4.36	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर, (म.प्र.).	सूखा नाला जलाशय के नहर निर्माण के भू-अर्जन बावत्.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), सागर में देखा जा सकता है.

क्र. 10177-प्र.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	सागर	कनेरादेव	110	4.206	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर, (म.प्र.).	कनेरा देव जलाशय शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि एवं वृक्ष इत्यादि का भू-अर्जन प्रकरण.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), सागर में देखा जा सकता है.

सागर, दिनांक 11 अक्टूबर 2010

क्र. 10190-प्र.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	सागर	खमकुंआ	50	10.62	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर, (म.प्र.).	केसली विकासखण्ड के अन्तर्गत टिकारी जलाशय के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. 10191-प्र.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	सागर	रजौआ	22	10.26	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर, (म.प्र.).	सागर विकासखण्ड के अन्तर्गत बदोना जलाशय के शीर्ष कार्य (बांध) एवं नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. 10192-प्र.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	केसली	खमरिया	48	6.46	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर, (म.प्र.).	केसली विकासखण्ड के अन्तर्गत टिकारी जलाशय के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. 10194-प्र.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	केसली	मोहासा	2	0.40	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर, (म.प्र.).	केसली विकासखण्ड के अन्तर्गत टिकारी जलाशय के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. 10195-प्र.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	केसली	नवलपुर	60	7.99	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर, (म.प्र.).	केसली विकासखण्ड के अन्तर्गत टिकारी जलाशय के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. 10196-प्र.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	केसली	भौंहारा	34	8.95	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर. (म.प्र.)	केसली विकासखण्ड के अन्तर्गत टिकारी जलाशय के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. 10201-प्र.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	केसली	महुआखेडा	23	3.20	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर. (म.प्र.).	केसली विकासखण्ड के अन्तर्गत टिकारी जलाशय के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. 10202-प्र.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	केसली	खरखरी	15	3.72	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर. (म.प्र.).	केसली विकासखण्ड के अन्तर्गत टिकारी जलाशय के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. 10203-प्र.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	सागर	बदोना	4	0.82	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर. (म.प्र.)	सागर विकासखण्ड के अन्तर्गत बदोना जलाशय के शीर्ष कार्य (बांध) निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. 10204-प्र.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	सागर	चर्तुभटा	6	2.18	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर. (म.प्र.).	केसली विकासखण्ड के अन्तर्गत टिकरी जलाशय के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. क-10193-प्र.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	केसली	बिलहरी	35	40.50	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर. (म.प्र.).	केसली विकासखण्ड के अन्तर्गत बिलहरी जलाशय के शीर्ष कार्य (बांध) निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र.-10197-प्र.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	केसली	चिखली जमुनिया	41	26.99	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर. (म.प्र.)	देवरी विकासखण्ड के अन्तर्गत सतधारा जलाशय के शीर्ष कार्य (बांध) निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र.-10198-प्र.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	केसली	भुसोरा	2	2.50	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर. (म.प्र.).	केसली विकासखण्ड के अन्तर्गत बिलहरी जलाशय के शीर्ष कार्य (बांध) निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र.-10199-प्र.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	केसली	बिलेकी	2	1.40	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर. (म.प्र.).	केसली विकासखण्ड के अन्तर्गत बिलहरी जलाशय के शीर्ष कार्य (बांध) निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र.-10200-प्र.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	केसली	हिरनपुर	60	59.41	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर. (म.प्र.)	देवरी विकासखण्ड के अन्तर्गत सतधारा जलाशय के शीर्ष कार्य (बांध) निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र.-10205-प्र.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	केसली	पुतर्रा	75	36.50	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर. (म.प्र.).	केसली विकासखण्ड के अन्तर्गत चकरा जलाशय के शीर्ष कार्य (बांध) निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र.-10206-प्र.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	केसली	सिंगपुर	4	8.48	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर.	समनापुर जलाशय योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—समनापुर जलाशय योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

सागर, दिनांक 13 अक्टूबर 2010

क्र.-10285-प्र.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	केसली	पुतर्रा	6	1.50	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर. (म.प्र.)	केसली विकासखण्ड के अन्तर्गत चकरा जलाशय के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. -10286-प्र.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	सटगुवां	20	12.64	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर. (म.प्र.).	देवरी विकासखण्ड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय के शीर्ष कार्य (बांध) निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र.-10287-प्र.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	समनापुर	23	33.18	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र. 1, सागर. (म.प्र.).	देवरी विकासखण्ड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय के शीर्ष कार्य (बांध) निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र.-10288-प्र.-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	देवरी खास	8	2.57	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र. 1, सागर, (म.प्र.).	देवरी विकासखण्ड के अन्तर्गत सतधारा जलाशय के नहर कार्य निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र.-10289-प्र.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	सलैया	18	20.33	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र. 1, सागर, (म.प्र.).	देवरी विकासखण्ड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय के शीर्ष कार्य (बांध) निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. -10290-प्र.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	केसली	बेरसला	15	6.50	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर. (म.प्र.).	केसली विकासखण्ड के अन्तर्गत चकरा जलाशय के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 1 अक्टूबर 2010

क्र. 1570-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र. 01-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्रामों की भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	बोम्या	5.640	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 11, बड़वानी, जिला बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर एवं उससे संबंधित अन्य कार्य निर्माण हेतु.

नोट.— भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 11, बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 4 अक्टूबर 2010

क्र. दस-भू-अर्जन-फा.-506-प्र.क्र. 01-अ-82-2010-11-5041.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की 5 "अ" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	सोहागपुर	दगदहा	1.235	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल, म.प्र.	मिठौरी जलाशय की मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर, जिला शहडोल, म. प्र. में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 5 अक्टूबर 2010

भू-अर्जन-प्र.क्र. 99-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	चिचलीखुर्द	1.67	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदा नगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. 100-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	नगरीय ग्राम मून्दी	10.090	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदा नगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. 101-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता

है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	सिवरिया	3.11	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदा नगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. 102-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	दिनकरपुरा	0.05	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदा नगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. 103-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	उटड़ी	1.08	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदा नगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. 104-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	चीराखान	2.61	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदा नगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 11 अक्टूबर 2010

क्र. 1095-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन का यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 "अ" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	पड़री पवाई	8.40	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म.प्र.)	सिरमौर वितरक नहर के मरैला कोठार माइनर की सब-माइनरों के लिये 8.40 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1097-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन का यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 "अ" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	मरैला कोठार	4.26	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म.प्र.)	सिरमौर वितरक नहर के मरैला कोठार माइनर की सब-माइनरों के लिये 4.26 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1099-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	पल्हान	1.392	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म.प्र.)	सिरमौर वितरक नहर के शाहपुर माइनर के अन्तर्गत शाहपुर सब-माइनर 1.392 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1101-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	शाहपुर	1.204	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म.प्र.)	सिरमौर वितरक नहर के शाहपुर माइनर के अन्तर्गत शाहपुर सब-माइनर 1.204 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1103-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	उमरी कोठार	8.624	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म.प्र.)	सिरमौर वितरक नहर के शाहपुर माइनर के अन्तर्गत शाहपुर सब-माइनर 8.624 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक, एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 27 सितम्बर 2010

क्र. 14228-भू-अर्जन-2010-**संशोधन.**—इस कार्यालय द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) के अन्तर्गत ग्राम फुलगावड़ी तहसील सरदारपुर, जिला धार की धारा 6 की अधिसूचना के प्रकाशन हेतु अधिसूचना नियंत्रक, केन्द्रीय शासकीय मुद्रणालय, भोपाल एवं संचालक सूचना एवं प्रकाशन विभाग, भोपाल को प्रकाशन हेतु भेजी गई थी. जिसका प्रकाशन राजपत्र में पृष्ठ क्रमांक 2025 पर दिनांक 13 अगस्त 2010 को तथा दो हिन्दी समाचार पत्र दैनिक पत्रिका में दिनांक 12 अगस्त 2010 एवं स्वदेश समाचार पत्र में दिनांक 12 अगस्त 2010 को हुआ. चूंकि अधिसूचना का त्रुटिपूर्ण प्रकाशन होने से नीचे दर्शाये अनुसार संशोधन निम्नानुसार है :—

प्रकाशन हुआ जो त्रुटिपूर्ण है		प्रकाशन होना था, जो पढ़ा जावे	
सर्वे नंबर	क्षेत्रफल हेक्टर में	सर्वे नंबर	क्षेत्रफल हेक्टर में
(1)	(2)	(3)	(4)
870/1	0.500	770/1	0.500
870/3	0.545	770/3	0.545

इसके साथ ही दैनिक समाचार-पत्र पत्रिका के अंक दिनांक 12 अक्टूबर 2010 में ''पाना तालाब'' प्रकाशित हुआ है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, जिसे ''गोविन्दपुरा तालाब'' पढ़ा जावे. शेष प्रकाशन यथावत माना जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 1 अक्टूबर 2010

प्र. क्र. 30-अ-82-2009-10-क्र. 1567-भू-अर्जन-नहर-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—बड़वानी
(ग) ग्राम—गोठान्या
(घ) लगभग क्षेत्रफल—26.571 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
71, 92	0.415
73	0.262
87/3, 87/4, 178	0.874
179	0.251
434	0.065
435	0.061
436	0.024
170/1	0.809
170/2	1.424
89	0.320
172	0.556
174	0.125
175	0.117
176	0.178
405, 406	1.340
177	0.465
187	0.808
193/2	0.823
193/3	0.991
193/4	0.480
364	0.835
370/1	0.175
371/2	0.263
372/2	0.065
373	0.524
374/2	0.146
375	0.223
395, 396/2	0.664
415	1.355
419/4	0.165

(1)	(2)
396/3	0.405
396/4	0.121
398/2	0.040
400	0.050
399	0.390
404	0.481
407/2, 408	1.435
419/1	3.601
420	0.045
419/2	0.283
419/3	0.413
421/2, 421/3, 421/4	0.737
422	1.520
423/10	0.103
423/11	0.567
423/12	0.202
423/13	0.405
433	0.810
486	0.160
योग :	26.571

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—लोअरगोई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, लोअरगोई परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 1 अक्टूबर 2010

क्र. 9987-क-प्र.भू.-अर्जन-09-अ-82 वर्ष 09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—सागर
(ग) नगर/ग्राम—खमकुआ
(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.42 हेक्टर

खसरा नं.	रकबा (हे. में.)
(1)	(2)
615	0.04
616	0.13
617	0.13
619	0.35
620	0.38
621	0.35
622	0.47
624	0.40
625	0.17
कुल योग . .	2.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है.—सूखा नाला जलाशय योजना हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 9988-क-प्र. भू-अर्जन-10-अ-82-वर्ष 09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—सागर

(ग) नगर/ग्राम—हीरापुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल —4.26 हेक्टर

खसरा नं.	रकबा (हे. में.)
(1)	(2)
19	1.08
20	0.97
21	0.98
22	1.07
23	0.16
योग . .	4.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है.—सूखा नाला जलाशय योजना हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 9989-क-प्र. भू.-अर्जन-11-अ-82 वर्ष 09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—सागर
(ग) नगर/ग्राम—टेकापार
(घ) लगभग क्षेत्रफल —9.37 हेक्टर

खसरा नं.	रकबा (हे. में.)
(1)	(2)
721	0.70
737	1.30
722	1.44
723	1.06
724	4.07
725/3	0.40
725/4	0.40
योग . .	9.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है.—सूखा नाला जलाशय योजना हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सागर, दिनांक 8 अक्टूबर 2010

क्र. 10158-क-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र.-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—शाहगढ़
(ग) ग्राम—जालमपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—22.39 हेक्टर

खसरा नं.	रकबा (हे. में.)
(1)	(2)
170	0.02
172	0.14
173	0.06
180	0.50
729	0.14
174	0.59
202	0.08
175	0.42
176	0.22
182	0.27
189/1	0.49
192	0.53
177	0.33
183	0.15
178	0.51
188	0.60
185	1.62
181	1.06
742	0.24

(1)	(2)
743	0.31
179	0.74
193	0.32
158	0.08
739	0.78
741	0.71
165/1	0.14
165/2	0.07
163/2	0.02
161	0.30
159	0.72
147/3	0.03
196/3	0.05
147/4	0.25
187	1.70
186	0.32
189/2	0.98
730	0.20
737	0.48
738	0.30
740	0.42
746	0.22
758	0.25
747	0.60
748	0.63
813	0.35
814	0.14
815	0.15
816	0.14
817	0.20
818	0.83
728	0.07
731	0.92
732/1	0.05
732/2	0.35
734	0.27
736/1	0.05
736/2	0.18
736/3	0.10
योग . .	22.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—सोना नाला जलाशय के बांध डूब क्षेत्र में तथा नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय बंडा में देखा जा सकता है.

क्र. 10159-क-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र.-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—शाहगढ़
(ग) ग्राम—बम्होरी शाहगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल —3.28 हेक्टर

खसरा नं.	रकबा (हे. में.)
(1)	(2)
140	0.17
141	0.05
142	0.20
156	0.25
133/1	0.05
134	0.02
159	0.02
160	0.15
100/2	0.02
388	0.06
390	0.15
387	0.15
386/1	0.06
454	0.13
457/1	0.13
385/3	0.07
385/4	0.06
460/2	0.08
473	0.16
470	0.07
471	0.10
489	0.01
496	0.20

(1)	(2)
488/1	0.10
488/2	0.10
492	0.13
493	0.11
273	0.10
271/2	0.08
494/2	0.02
386/2	0.13
157	0.07
158	0.08
योग . .	3.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—सोना नाला जलाशय के बांध डूब क्षेत्र में तथा नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय बंडा में देखा जा सकता है.

क्र. 10172-क-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र.-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—शाहगढ़

(ग) ग्राम—गूगरा खुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल —10.86 हेक्टर

खसरा नं.	रकबा (हे. में.)
(1)	(2)
1257/2	0.04
1261	0.56
1262	2.57
1259	0.28
1266	0.57
1304	0.40
1270	0.33
1271	0.10
1272	0.13
1273	0.31
1274/1	0.09
1274/2	0.10
1276	2.20
1278	0.41
1279/2	0.05
1283/2	0.08
1279/1	0.10
1283/1	0.06
1284	0.05
1303/1	0.17
1282	1.13
1289/1	0.07
1289/2	0.05
1303/3	0.02
1303/2	0.07
1318	0.12
1338	0.55
1339	0.25
योग . .	10.86

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—सोना नाला जलाशय के बांध डूब क्षेत्र में तथा नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय बंडा में देखा जा सकता है.

क्र. 10174-क-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र.-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—शाहगढ़

(ग) ग्राम—सिलापरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.22 हेक्टर

खसरा नं.	रकबा (हे. में.)
(1)	(2)
532	0.20
533	0.06
539	0.13
540	0.15
542	0.20
566/1	0.05
544	0.07
549/1	0.38
569	0.07
549/2	0.10
566/2	0.05
568	0.07
562	0.24
548	0.40
570/2	0.05
योग . .	2.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—सोना नाला जलाशय के बांध डूब क्षेत्र में तथा नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान), अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय बंडा में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 4 अक्टूबर 2010

क्र. 5180-भू-अर्जन-2009-10-06-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

लगभग क्षेत्रफल—1. ग्राम बांसा अशासकीय रकबा- 62.780 हेक्टेयर
शासकीय रकबा-48.745 हेक्टेयर
2. ग्राम दुलहरा-अशासकीय रकबा-1.043 हेक्टेयर
शासकीय रकबा- 0.566 हेक्टेयर

ग्राम बांसा- अशासकीय सर्वे क्रमांक

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
15/1	0.089
15/2	0.105
16/1ग	1.416
16/1घ	0.304
16/1ङ	1.416
16/2	2.023
16/3	0.809
16/4	0.809
18/1ख	0.613
18/1ग	2.023
18/1घ/1	0.405
18/1घ/2	0.259
18/1ङ	1.031
18/1च	0.405
18/2	0.607
18/3	0.121
18/4	1.619
18/5	1.214
19	0.085
20	0.154
21	0.166
22	0.166
23	0.210
24	0.364
25	0.089
26	0.547
28	0.141
29	0.328
30/1ख	1.113
30/2	0.405
31	0.170
32	0.170
33	0.113
34	0.178

(1)	(2)	(1)	(2)
35	0.088	90	0.173
36/1क	1.983	92/2	0.405
36/1ख	1.416	93/2	0.620
36/2	0.202	93/3	0.384
38	0.279	93/4क	0.708
39	0.259	93/4ख1	0.162
40	0.125	93/4ख2	0.121
41/1	0.008	93/4ग3	0.162
41/2	0.043	93/5क	0.202
42	0.251	93/5ख	0.466
43	0.206	93/5ग	0.101
44	0.125	94/1ड़	0.809
45	0.332	94/2	0.809
46/1ख	0.947	94/3	0.809
49/1ख	0.304	96	0.291
49/2	0.405	97	0.267
49/4	0.204	98	0.279
80/2	2.011	99	0.138
80/4	1.687	100/2	0.543
80/5	0.353	100/3	0.101
80/6	0.950	101	0.073
81/2क	0.506	102	0.162
81/2ख	0.627	103	0.101
81/2ग	0.121	104/2	0.304
81/2घ	0.607	105	0.040
81/3क	0.324	106	0.117
81/3ख	0.486	138/2	0.142
81/3ग	0.283	140	0.057
81/4क	0.729	141	0.149
81/4ख	0.202	144	0.037
81/4ग	0.162	150	0.284
82/4क	0.050	151	0.170
82/4ख	0.190	152	0.138
82/4ग	0.101	226/1	0.440
82/4घ	0.214	260	0.056
82/4ड़	0.101	269	0.388
82/2	0.405	275	0.324
82/3	0.405	276	0.251
83/2	1.010	277	0.024
83/3	1.214	278	0.376
84	0.198	279	0.251
85/1	0.202	281	0.206
85/2	0.507	282	0.020
89	0.024	283	0.141

(1)	(2)
290	0.210
292	0.147
293	0.166
295	0.214
331	0.441
332	0.425
333	0.174
335	0.190
336	0.401
338	0.061
339/2	0.502
341/2	0.405
343	0.615
344	2.236
346/2	1.214
348	0.344
349	0.178
350	0.178
352	0.093
353	0.214
358	0.129
359	0.121
361	0.126
362	0.129
363	0.606
364	0.413
88	0.121

ग्राम—बांसा
शासकीय सर्वे क्रमांक

16/1ख	4.049
17/1क2	3.524
18/1क	1.424
27	0.057
30/1क	0.279
37	0.037
80/1	1.225
81/1	8.212
82/1	0.814
83/1	0.502
86	0.138
87	0.012
92/1	0.910
94/1ख	0.405
94/1ग	7.891
100/1	2.194
104/1	3.014
107	0.020
122	0.231
123	0.158
124	0.105
125	0.297
145	0.053
153	0.113
154	0.575
272	0.036
273	0.287
274	0.166
280	0.109
291	0.871
294	0.096
334	0.253
337	0.142
339/1	0.134
340	0.138
341/1	0.381
342	0.676
345	0.235
346/1	0.769
346/2	2.428
347/1क	4.695
347/1ख	0.410
351	0.012
354	0.113
355	0.081
356	0.668
357	0.121
360	0.077
376	0.251

ग्राम—दुलहरा
अशासकीय सर्वे क्रमांक

26	0.372
27	0.210
29	0.073
30	0.028
32	0.024
33	0.101
35	0.166
39	0.069

ग्राम—दुलहरा
शासकीय सर्वे क्रमांक

23	0.311
24	0.097
25	0.057
28	0.101

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बन्देही जलाशय योजना के डूब प्रभावित क्षेत्र बाबत्.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान), का निरीक्षण जिलाध्यक्ष , कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग उमरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) भू-अर्जन अधिनियम की धारा-7 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है.

क्र. 5179-भू-अर्जन-2009-10-07-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—मानपुर
(ग) ग्राम—मोहबला
(घ) क्षेत्रफल लगभग—1.008 हेक्टेयर

सर्वे क्रमांक	रकबा (हे. में.)
(1)	(2)
356	0.146
363/3	0.243
368/2	0.303
369	0.316
योग :	1.008

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—ब्यौहारी मानपुर मार्ग में सोन पुल पोड़ी राजघाट के पहुंच मार्ग हेतु पुल निर्माण बावत्.

3) भूमि का नक्शा (प्लान), का निरीक्षण जिलाध्यक्ष , कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) भू-अर्जन अधिनियम की धारा-7 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. धुर्वे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 5 अक्टूबर 2010

क्र. एफ 694-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराजनगर
(ग) नगर/ग्राम—शेरगंज
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.434 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
302/1/1	0.525
302/1/2	0.025
302/2	0.500
295/3	0.286
996/1/3	0.098
निजी खाता भूमि योग :	1.434

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है.—सतना-जिगनहट पहुंच मार्ग एवं पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान), का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ 696-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)
(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—उचेहरा

(ग) नगर/ग्राम—जिगनहट

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.120 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
252	0.120
निजी खाता भूमि योग :	0.120

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है.—सतना-जिगनहट पहुंच मार्ग एवं पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान), का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ 698-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रघुराजनगर

(ग) नगर/ग्राम—बघेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.687 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
101	0.303
95	0.384
निजी खाता भूमि योग :	0.687

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है.—सतना-जिगनहट पहुंच मार्ग एवं पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान), का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 5 अक्टूबर 2010

भू-अर्जन-प्र.क्र. 42-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—पुनासा

(ग) ग्राम—दुधवास

(घ) अर्जित रकबा—8.98 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/1	1.03
2/2	0.46
13	0.13
18	0.17
20/1	0.06
25	0.12
26	0.06
27	0.20
28	0.08
29	0.04
31	0.04
35	0.09
38	0.10
39/1	1.25
41/2	1.23
43	0.16
118/1	0.09
118/4	0.05
122	0.17
123	0.12
137	0.06
138/2	0.07

(1)	(2)
139/2	0.14
140	0.27
141	0.08
142	0.35
146/3	0.13
146/4	0.07
156/2	0.10
280/1	0.10
280/2	0.10
280/3	0.05
282	0.11
284	0.02
285	0.10
286	0.05
287/1	0.03
287/2	0.03
288	0.05
289	0.22
290	0.11
293	0.07
294	0.02
298	0.08
329	0.08
330/1	0.02
330/2	0.02
331/1	0.06
332	0.11
336/2	0.06
338	0.01
339	0.10
344/4	0.04
344/2	0.06
344/3	0.03
345/2	0.09
346	0.13
347/1	0.07
347/2	0.03
350	0.01
योग :	8.98

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पुनासा उद्‌वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत अवशेष जलाशय 3 एवं वितरण पाईप लाईन के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. 43-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—अंजनियॉ खुर्द
(घ) अर्जित रकबा—4.02 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
106/1	0.16
113	0.01
123/1	0.06
123/1क	0.07
154	0.15
155/5	0.04
157/1	0.08
159/1	0.12
123/2क	0.06
159/2	0.10
171/1	0.27
172	0.16
173/1	0.15
173/2	0.16
173/3	0.14
179/1	0.07
179/4	0.11
179/5	0.04
180	0.12
181	0.08
188	0.07
189	0.02
190	0.05
265	0.06
266	0.07
267	0.07
268	0.07
269	0.07

(1)	(2)
270	0.07
273/1	0.14
273/2	0.09
273/3	0.06
274/1	0.13
274/2	0.10
274/3	0.05
274/4	0.10
293	0.11
294/1	0.07
294/2	0.02
302/2	0.17
309/1	0.28
	योग : 4.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. 44-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—कोलगांव
(घ) अर्जित रकबा—29.71 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
182	0.97
183	0.09
203	2.01
205	1.00
206	1.13
207/1	1.51
207/2	1.20
208	1.24
209	0.27
210	0.20
211	0.67
216	0.52
217	0.13
219	0.06
221	0.20
222/2	0.07
222/1	0.04
222/3	0.40
223	0.34
224	0.85
225/1	0.64
225/2	0.20
229	1.08
230	0.35
231	0.28
232	0.42
233	0.59
235	0.55
236	0.13
237/1	0.20
237/2	0.35
246	0.08
247	0.32
248	0.24
249	0.09
252	0.60
256	2.26
257	0.25
264	1.05
266	0.23
267	0.21
268	0.27
269	0.29
270/1	0.38
270/3	0.32
271/1	0.38
271/3	0.09
271/4	0.06

(1)	(2)
271/5	0.03
272	0.53
273/1	0.57
273/2	0.67
274/1	1.70
274/2	0.25
275	0.22
280/1	0.45
280/2	0.12
281	0.34
282	0.02
	योग : 29.71

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत अवशेष जलाशय 3 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. 45-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—रोहणी
(घ) अर्जित रकबा—2.25 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
36/1	0.07
36/2	0.30
58	0.10
60/1	0.04
60/2	0.06
62/1	0.07
62/2	0.03
62/3	0.05
67	0.09
68	0.06
497	0.02
504/2	0.07
505	0.10
506	0.04
507	0.11
509	0.10
517/5	0.01
570/1	0.14
570/2	0.17
572	0.14
578	0.10
579/3	0.07
580	0.11
583/1	0.10
583/2	0.10
	योग : 2.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. 46-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—उदयपुर

(घ) अर्जित रकबा—1.65 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
30/2	0.10
34	0.15
35	0.05
36	0.12
120	0.23
121	0.05
122	0.18
123	0.11
199	0.15
201/1	0.21
202/2	0.01
203/1	0.08
203/4	0.11
163	0.10
	योग : 1.65

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. 47-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—भादलीखेड़ा
(घ) अर्जित रकबा—6.23 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
84	0.10
85/3	0.09
87/3	0.08
88	0.09
163	0.08
165/1	0.05
165/2	0.12
167	0.10
171/2	0.28
173/1	0.09
174/1	0.11
175	0.09
176	0.18
177	0.09
178	0.06
180	0.10
181	0.05
182/1	0.03
182/2	0.03
183/2	0.08
183/3	0.11
199/1	0.46
199/3	0.02
184/1	0.22
184/3	0.16
193	0.20
294/2	0.32
294/6	0.02
311/1	0.09
311/2	0.05
311/3	0.16
311/4	0.22
311/5	0.38
311/6	0.05
313	0.02
314	0.14
317	0.53
318	0.15
320	0.95
321	0.08
	योग : 6.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. 48-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—बांगरदा
(घ) अर्जित रकबा—2.98 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
76	0.02
77/1	0.14
77/2	0.04
80	0.04
81	0.06
82	0.09
83	0.20
84/2	0.09
148	0.20
149/1	0.11
150	0.06
151	0.32
152	0.05
158	0.22
163	0.12
168	0.07
169	0.13
170/1	0.10
170/2	0.12
171	0.08
178	0.20
180	0.04
631	0.11
633/1ग	0.10
633/1घ	0.11
633/4	0.16
	योग : 2.98

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. 49-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—अंजनियॉकला
(घ) अर्जित रकबा—0.71 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
20	0.03
21	0.06
22	0.06
23	0.08
25	0.21
26/3	0.02
31/3	0.01
32/1	0.19
35/1	0.05
	योग : 0.71

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 6 अक्टूबर 2010

प्र. क्र. 1-अ-82-09-10-1259.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—देवास
(ख) तहसील—खातेगांव
(ग) ग्राम—अगरदा
(घ) क्षेत्रफल—0.35 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
358 में से	0.30
359/1 में से	0.05
योग :	0.35

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—बागदी नदी पर निर्माणाधीन पुल पहुंच मार्ग के भू-अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 1-अ-82-09-10-1265.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—देवास
(ख) तहसील—खातेगांव
(ग) ग्राम—बरछाखुर्द
(घ) क्षेत्रफल—0.25 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
108/1 में से	0.25
योग :	0.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—बागदी नदी पर निर्माणाधीन पुल पहुंच मार्ग के भू-अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पुष्पलतासिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 8 अक्टूबर 2010

प्र. क्र. 3-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—शमशाबाद
(ग) ग्राम—बरखेड़ाजाट

(घ) लगभग क्षेत्रफल—187.252 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
24/1	1.682
113	0.365
24/2	1.672
25/2	0.610
14/2	0.710
16/1	1.166
161/2	0.062
169/	0.136
100/1	0.460
16/2/1	0.814
16/2/2	0.105
20	2.900
158	0.209
16/3	0.256
85	0.439
86	0.209
87	0.512
155/1	0.985
88	0.209
90	0.543
19	2.833
163	0.095
165	0.095
265	0.063
269	0.147
192	0.752
296	0.655
120	0.042
152/1	2.502
152/2	0.627
93/1	0.366
93/2	0.157
166	0.157
22/2	0.799
184	0.083
75/1	1.213
187	0.209
292	1.306
234	0.575
286	0.800
75/2	1.212
(1)	(2)
76	0.863
161/1	0.063
77	0.506
78	2.120
79/1	0.465
79/2	0.465
81	0.658
83	1.840
84	0.021
95/1	0.079
153	4.713
91	0.471
167/1	0.136
140	0.637
94/1	0.162
121	0.094
138/3	1.171
97	0.251
281	0.586
294	1.850
295	2.500
98	1.694
124/6	0.092
99/1	0.264
99/3	0.264
124/1	0.091
99/2	0.520
99/4	0.525
124/3	0.193
124/4	0.184
99/6	0.010
100/2	0.418
101	1.050
103	0.670
176/1	0.114
102	0.115
110	2.442
180	0.303
112	0.042
228	1.003
174	0.261
114	0.209
115	0.052
119	0.167

(1)	(2)	(1)	(2)
118	0.115	142	2.090
155/3	0.985	145	2.330
122	0.052	202	0.303
123/1	0.062	149	1.525
123/2	0.011	156/3	0.087
176/2	0.115	157/1	0.063
124/2	0.091	157/2	0.062
124/5	0.092	159	0.167
125	0.836	162	0.094
160	0136	164	0.104
126	0.180	210	0.489
132/2	1.900	212	0.783
133/1/1	0.534	95/2	0.130
133/1/2	1.934	225	1.774
134	1.250	168	0.083
143	1.045	170	0.209
144	1.045	173	0.669
195	1.881	177	0.136
135	0.173	179	0.063
136/2	0.800	220	1.985
136/3	0.930	181	0.147
137/1	0.320	230/2	0.846
138/1	1.807	182	0.125
267	0.219	199	0.523
138/2	1.672	270	0.010
167/2	0.136	197	0.418
94/2	0.162	183	0.105
147/1	1.666	185	0.115
147/2	1.666	186	0.083
147/3	0.017	291/1	2.644
147/4	1.666	293	0.356
147/5	1.666	207	2.090
147/6	0.017	236	2.665
150	1.432	208	5.853
154/1	3.140	211	0.533
154/2	3.140	213	0.627
155/2	0.985	200	1.672
155/4	0.986	214	0.534
171	0.125	216	2.090
196	1.254	259	0.094
289	0.836	198	3.083
156/1	0.087	215	0.909
156/2	0.087	217	1.985
141	2.090	219	0.836

(1)	(2)
226/1	1.291
226/2	0.365
229/1	1.116
231/2	0.292
226/3	1.672
226/4	1.254
227	0.960
230/1	1.056
229/2	0.426
231/1	0.293
235/1/1	0.941
229/3/1	0.755
248	0.369
283	0.512
249	3.500
253	0.115
257	0.313
284	0.523
290	0.763
218/1	0.523
273	0.084
276	0.041
277	0.146
258/1	0.104
278	0.042
258/2	0.010
258/3	0.010
263	0.010
264	0.262
268	0.115
271	0.094
272/1	0.059
280/1	0.049
282/1	0.575
272/2	0.059
280/2	0.049
282/2	0.574
203/1	1.426
203/2	1.427
204/1	0.418
204/2	2.117
232/1	0.065
235/1/2	0.940
237	2.090
238	1.045
239	2.027
285/1	1.254
285/2/2	0.822
285/2/1	0.822
285/2/3	0.822
255/3/2	0.062
287/2 क	2.289
291/2	3.000
287/1	0.094
232/2	0.949
229/3/2	0.096
235/2/2/2	0.860
235/2/1	0.081
235/2/2/1	0.940
229/3/2	1.059
272/3	0.059
280/3	0.048
282/3	0.575
218/2	0.522
251	0.209
252	0.083
255/1	0.063
254	0.104
279	0.147
274	0.083
275	0.345
255/2	0.063
262/2	0.038
262/1	0.038
262/3	0.039
203/3	0.282
92	0.219
188	0.010
23	0.400
योग :	187.252

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—सगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 7-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की संजय सागर (बाह) मध्यम परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—नटेरन
(ग) ग्राम—रिनिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.293 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
112/5	0.350
284/1	0.033
284/2	0.033
284/3	0.034
293	0.230
294/1	0.275
294/2	0.134
295	0.125
296/1	0.504
296/2	0.359
296/3	0.319
296/4	0.504
299/1	0.544
299/2/1	0.500
299/2/2	0.043
300	0.188
301	0.523
302	0.149
305/1	0.045
305/2	0.050
305/3	0.050
306	0.463
307	0.047
309	0.100
310	0.376
311	0.100
344	0.215
योग :	6.293

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—संजय सागर (बाह) मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर, बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 11-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की संजय सागर (बाह) मध्यम परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—नटेरन
(ग) ग्राम—श्यामपुर (सेऊ)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.643 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
10	0.640
11/1	0.064
21	0.240
22	0.400
25/1	1.200
27/1क	0.217
27/1क2	0.880
27/1/ख1	0.880
46/1	0.190
46/2	0.190
46/3	0.190

(1)	(2)
48/1	0.160
48/2/1	0.160
48/2/2	0.160
50	0.480
147	0.080
159	0.128
161	0.320
162	0.064
योग :	6.643

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—संजय सागर (बाह) मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 11 अक्टूबर 2010

प्र. क्र. 1087-प्रशासक-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—दुआरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.105 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
157/1	0.028
157/2	0.028
157/3	0.028
159/1	0.006
159/3	0.015
योग :	0.105

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मैदानी माइनर नहर के अन्तर्गत में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 1091-प्रशासक-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—बिडवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.061 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
285/2	0.061
योग :	0.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मैदानी माइनर नहर के अन्तर्गत में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 1093-प्रशासक-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—धौचट

(ग) ग्राम—हुजूर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.077 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
512	0.077
योग :	0.077

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के अन्तर्गत में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2010

प्र. क्र. 18-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—लौड़ी

(ग) ग्राम—गिलौहा, प. ह. नं. 18

(घ) लगभग क्षेत्रफल—163.962 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
20/1	0.056
23	0.176
24	0.256
25	0.064
26	0.072
27	0.016
32	0.010
33	0.168
34	0.014
35	0.080
36	0.056
252/3/1	0.202
252/3/2	0.300
252/3/3	0.320
252/4/1	0.162
252/4/2	0.120
252/5	0.040
272/1	0.222
272/2	0.100
276/1	0.163
277/1	0.060
279	14.000
281/1	0.215
281/2	0.107
281/3	0.107
282/1	0.027
282/2	0.013
282/3	0.013
283/1	0.166

(1)	(2)	(1)	(2)
283/2	0.167	335	0.387
283/3	0.331	336	0.316
284/1	0.189	337	0.274
284/2	0.378	338	0.279
285/1	0.010	339	0.676
285/2	0.011	340/1	0.522
285/3	0.011	340/2	0.522
286	0.243	341/1	0.259
287	0.287	341/2	0.255
288/1	0.100	342	0.206
288/2	0.040	343	0.194
289	0.024	344	0.235
290/1	0.122	345	0.202
290/2	0.122	346	1.597
290/3	0.121	347	0.328
291/2	0.016	348	0.380
291/3	0.016	349	0.049
292/1	0.168	350	0.049
292/2	0.168	351	0.142
293/1	0.251	352/1	0.494
293/2	0.251	352/2	1.000
294	0.283	353/1	0.392
295	0.186	353/2	0.392
296	0.235	354	0.320
297/1	0.115	355	0.308
297/2	0.116	356	1.396
298/1	0.039	357	0.437
298/2	0.038	358	0.121
299	0.353	359	0.142
325/2	0.065	360	0.247
326	0.344	361	0.227
327/2	0.094	362	0.198
328	0.340	363	0.672
329	0.023	364/1	0.129
330/1	0.209	364/2	0.130
330/2	0.209	365	0.239
331/1	0.288	377	0.112
331/2	0.044	378	0.250
332	0.170	379	0.591
333	0.324	380/1	0.364
334/1	0.620	380/2	0.365
334/2	0.036	381	0.417

(1)	(2)	(1)	(2)
382	0.312	416	1.481
383	0.210	417	0.344
385	0.271	418	1.238
386	0.129	419	0.238
387/1	0.231	420	0.364
387/2	0.115	422/1	0.227
387/3	0.116	422/2	0.299
388	0.259	422/3	0.829
389	0.380	422/4	0.065
390	0.316	422/5	0.283
391	0.316	422/6	0.279
392	0.346	422/7	0.421
393	0.295	424	0.684
394	0.368	425	0.874
395	0.510	426	0.987
396	0.279	427	0.753
397	0.356	428/1	0.397
398	0.336	428/2	0.849
399	0.494	429/1	1.202
400	0.898	429/2	0.162
401	1.141	429/4	0.567
402/1	0.049	429/5	0.251
402/2	0.075	429/6	0.364
402/3	0.075	430/1/1	0.407
404	0.202	430/1/2	0.407
405/1	0.600	430/1/3	0.408
405/2	0.121	430/2	1.222
406/1	0.301	432/1	0.126
406/2	0.294	432/2	0.100
407	0.470	433	0.121
408/1	0.428	434/1	0.197
408/2	0.247	434/2	0.196
409	0.955	435	0.194
411/1/क	0.223	436	0.729
411/1/ख	0.222	437/1	0.222
411/3	0.324	437/2	0.223
411/4	0.494	438	0.040
412	0.413	439	0.125
413/1	0.619	440	0.583
413/2	0.619	441	0.166
414	0.522	442	0.032
415	0.556	443	0.360

(1)	(2)	(1)	(2)
444/1	0.516	497	0.575
444/2	0.124	498	0.344
445	0.340	499	0.048
446	0.462	500	0.053
447	0.401	501	0.125
448	0.210	502	0.312
449	0.194	503	0.563
451	0.409	504	0.340
452/1	0.206	505	0.567
452/2	0.207	506	0.450
453/1	0.413	508/1	0.694
453/2	0.411	508/2	0.694
454/2	0.085	509/1	0.369
461	0.120	509/2	0.121
462/1	0.014	510	0.247
462/2	0.014	511	0.263
462/3	0.029	513	0.364
463	0.914	514	0.117
464	0.182	516	0.194
465	0.186	517	0.454
466	0.652	518/1	0.141
467	0.138	518/2	0.142
468	0.050	519	0.539
469	0.200	520	0.470
479	0.128	521	0.032
480	0.030	522	0.514
481	0.522	523	0.324
482	0.331	524	0.093
483	0.178	525	0.255
484	0.154	526	0.259
485	0.158	527/1	0.158
486	0.344	527/2	0.150
487	0.065	528	0.213
488	0.721	529/1	0.110
489	0.425	529/2	0.100
490	0.388	530	0.233
491	0.445	531	0.186
492	0.320	533	0.080
493	0.413	629/1	0.229
494	0.081	630	0.430
495	0.437	631	0.030
496	0.032	632/2	0.037

(1)	(2)
634/2	0.040
635	0.010
636/1	0.018
636/2	0.018
637	0.010
641	0.219
642/1	0.142
642/2	0.141
643	0.040
644	0.024
645	0.178
646	0.198
647	0.154
649	0.162
650	0.194
651	0.287
652	0.291
653/1	0.187
653/2	0.084
654	0.324
655	0.263
656	0.142
657	0.295
658	0.158
659	0.304
660	0.466
661	0.243
662	0.737
663	0.089
664	0.393
665	0.291
666	0.263
667/1	0.447
667/2	0.045
667/3	0.048
668	0.320
669	0.769
670/1	0.144
670/2	0.146
671	0.425
672	0.073
673	0.332
674	0.206
675	0.243
676	0.186
677	0.190
678	0.494
679	0.291
680	0.292
681	0.308
682	0.073
683	0.170
684	0.259
685	0.470
686/1	0.006
686/2/1	0.006
686/2/2	0.006
687	0.202
688	0.470
689	0.275
690	0.206
691/1	0.322
691/2	0.322
693	0.099
694	0.267
695	0.320
696	0.223
697	0.162
698	0.081
699	0.316
700	0.178
701	0.097
702	0.214
703	0.231
704	0.109
705	0.255
706	0.267
707/1	0.522
707/2/1	0.099
707/2/2	0.324
707/2/3	0.099
708	0.344
709/1	0.255
709/2	0.255

(1)	(2)
710	0.502
711/1	0.279
711/2	0.061
712	0.502
713	1.765
714	0.761
715	0.713
716	0.672
717	0.384
718	0.324
719	0.380
720	0.299
721	0.340
722	0.057
723	0.938
724	0.841
725	1.097
726/1	0.977
726/2/1	0.326
726/2/2	0.325
726/2/3	0.326
728	1.744
729	0.721
730	0.664
731	0.615
732/1	1.291
732/2	0.732
732/3	1.000
733	0.886
734	1.226
735	0.482
736	0.567
737	0.364
738	0.275
739	0.421
740	0.705
741/1	0.192
741/2	0.302
742/1/1	0.822
742/1/2	0.393
742/1/3	2.148
742/1/4	0.829
742/1/5	1.214
742/2	0.162
743	0.178
744	0.571
745	5.443
747	0.551
748/1	0.227
748/2	0.114
748/3	0.113
748/4	0.688
748/2/1	0.688
748/2/2	2.537
748/2/3	0.809
752	0.713
753	0.328
754/2	0.340
759/1	0.197
760/1	0.030
760/2	0.045
762	0.360
763	0.350
765/1	0.342
765/2	0.080
765/3	0.200
986	0.170
992	0.162
993	0.388
994	0.049
995	0.599
996	0.388
1070/340	0.802
योग . .	163.962

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज मध्यम परियोजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण तहसील कार्यालय, लौड़ी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर 010

फा. 22-वि.निर्वा.-2010-चार-198.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 82-म.प्र.-वि.स.(15/2009)-2010, दिनांक 22 सितम्बर 2010 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है.

प्रेम चन्द मीना, प्रमुख सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110001

नई दिल्ली, तारीख, 22 सितम्बर 2010—31 भाद्रपद, 1932 (शक)

अधिसूचना

सं. 82-म.प्र.-वि.स.-(15/2009)-2010.—भारत निर्वाचन आयोग, 25-शिवपुरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश विधान सभा के लिए श्री माखन लाल राठौर को चुनौती देने वाले श्री गणेशराम गौतम, द्वारा दाखिल 2009 की अर्जी सं. 15 में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर बेंच के तारीख 27 अगस्त 2010 का निर्णय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में एतद्द्वारा प्रकाशित करता है.

आदेश से,
हस्ता./-
(बर्नाड जॉन)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated, 22nd September 2010—
31st Bhadrapada, 1932 (SAKA)

NOTIFICATION

No. 82-MP-LA-(15-2009)-2010.—In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby publishes the Judgement of the High Court of Madhya Pradesh at Gwalior Bench dated 27 August 2010 in Election Petition No. 15 of 2009 filed by Shri Ganeshram Gautam challenging the Election of Shri Makhanlal Rathore to the Madhya Pradesh Legislative Assembly from 25-Shivpuri Assembly Constituency.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Bench Gwalior Election Petition No. 15/09

प्रकीर्ण सिविल / दाण्डिक मामला क्रमांक

Ganeshram Gautam S/o Shri Shivaharan Gautam, Age 52 Yrs., Candidate of Bhartiya Jansahakari Party, Constituency 25, Shivpuri Legislative Assembly, R/o 43, Adarsh Nagar, Shivpuri (MP).

1. The Election Commissioner, Govt. of M. P., Bhopal (MP).

2. The Returning Officers/Sub-Divisional Magistrate, 25-Shivpuri. Legislative Assembly Distt., Shivpuri.

3. The Asstt. Returning Officer/Tehsildar, Distt. Shivpuri (MP), (R-1 to R-3, deleted as per Hon C. O. dated 9-4-10).

4. Makhanlal Rathore S/o Unknown, Candidate of Bhartiya Janata Party Constituency 25, Shivpuri, Legislative Assembly, R/o Adarsh Nagar, Shivpuri (MP).

Election Petition U/s, 81 R/w Sec. 100 of the Representation of the People Act. . . . . .
. . . . . .
के लिये आवेदन-पत्र.

याचिका आवेदक के वकील श्री Raja Sharma, Advocate द्वारा दिनांक 21 जनवरी 2009 को प्रस्तुत की गई.

आवेदन-पत्र दिनांक 27 अगस्त 2010 को माननीय न्यायमूर्ति श्री A. M. Naik (J) और माननीय न्यायमूर्ति श्री . . . . . के समक्ष आवेदक के वकील श्री Shri V. K. Bhardwaj, Sr. Adv. with Shri Raja Sharma & A Bhardwaj और विरोधी पक्षकार के वकील श्री Shri Vivek Jain, Advocate की उपस्थिति में अंतिम सुनवाई के लिये प्रस्तुत

किया जाना था. न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :—

आदेश

ATTACHED

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH BENCH AT GWALIOR

Single Bench - Hon. Shri Justice Abhay M. Naik

(Election Petition No. 15/2009)

Ganeshram Gautam

Vs

Makhanlal Rathore

Shri V. K. Bhardwaj, Sr. Advocate with Shri Raja Sharma and Shri Anand Bhardwaj, Advocates for the election petitioner.

Shri Vivek Jain, Advocate for the respondent.

ORDER

(Passed on 27th day of August 2010)

1. **Abhay M. Naik J.**

1. Heard on I.A. No. 9934/10.

2. Petitioner has challenged the election of respondent Makhanlal Rathore, by submitting election petition in respect of Constituency No. 25, Shivpuri Legislative Assembly of M. P., on various grounds. Following prayer has been made in the election petition :—

"It is therefore humbly prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to allow this election petition. It is further prayed that the counting of round No. 9, 12 and 13 may be ordered to be taken place again and result be followed."

3. Earlier, the petitioner had impleaded the Chief Election Commissioner, Returning Officer and the Assistant Returning Officer. They have been deleted from the cause-title by virtue of this court's order dated 9-4-10.

4. Respondent submitted an application (I.A.No. 9934/10) for dismissal of the election-petition on the ground that in view of the prayer of the election petition, the petitioner was obliged to join all contesting candidates as required under sectin 82 (a) of the Representation of the People Act, 1950. Since the petitioner has failed to join all the contesting candidates, the petition may be dismissed on account of violation of the statutory provisions of the Act.

5. In reply, it is stated that no prayer for further declaration that the petitioner or any other candidate has been duly elected, has been made and accordingly, the returned candidate alone has been property made a respondent. It is further submitted that in view of Section 86 (4) of the said Act if any other candidate is interested in the election petition, he may very well file an application for being impleaded as a party. Since, none of the contesting candidates has filed any such application, it may be presumed that they are all satisfied with the result of the election. Accordingly, the application is liable to dismissal.

6. After hearing learned counsel for the parties, the court for the reasons to follow, is of the opinion that the election-petition has been submitted in violation of the statutory provisions and it deserves to be dismissed at the threshold.

7. At the cost of repetition, the prayer contained in the election petition is reproduced below :—

"It is therefore humbly prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to allow this election petition. It is further prayed that the counting of round No. 9, 12 and 13 may be ordered to be taken place again and result be followed."
(underlined by this court)

8. Section 84 of the Representation of the People Act, 1950 describes the relief(s) that may be claimed by the petitioner in the following words :—

"**84.Relief that may be claimed by the petitioner-** A petitioner may, in addition to claiming a declaration that the election of all or any of the returned candidates is void, claim a further declaration that he himself or any other candidate has been duly elected."

9. Clause (a) of Section 82 of the said Act reads as under :—

82. Parties to the petition—A petitioner shall join as respondents to his petition—

(a) Where the petitioner, in addition to claiming declaration that the election of all or any of the returned candidates is void, claims a further

declaration that he himself or any other candidate has been duly elected, all the contesting candidates other than the petitioner and where no such further declaration is claimed, all the returned candidates."

10. Perusal of the prayer clause of the election-petition makes it clear that the petitioner has not merely prayed for allowing his election-petition containing challenge to the election of the returned candidate, but has further prayed that the counting of round No. 9, 12 and 13 may be ordered to be taken place again and result be followed. Thus, the declaration in favour of any of the candidates who gets elected on account of recounting of round No. 9, 12 and 13 is implicit in the prayer made by the election petitioner. Though, the petitioner has not worded the prayer clause in the form of declaration but by making a prayer to grant a relief pursuant to the result of recounting he has virtually made a prayer for declaration that the contesting candidate getting elected on account of the result of recounting may be declared elected or being so, clause (a) of Section 82 gets attracted and the petitioner was obliged to join all the contesting candidate in the election petition. There were, as much as, six contesting candidates as revealed in Annexure-P/8, four out of them have not been impleaded.

11. Section 38 of the Act provides for publication of list of contesting candidates. Hon. Supreme Court of India in the case of **K. Kamaraja Nadar Vs. Kunju Thevar and others (AIR 1958 SC 687)** has held that contesting candidates within the phraseology, which has been used in S. 38 are candidates who were included in the list of validly nominated candidates and who have not withdrawn their candidatures within the period prescribed for such withdrawal. Thus, contesting candidates are within the meaning of the term as used in the Act. Thus, in addition to the petitioner and respondent, there were four more contesting candidates as revealed in Annexure-P/8.

12. It has been argued on behalf of the election petitioner that initially, the relief with regard to declaration that election of respondent is void may be granted by allowing the petition and rest of the relief may be denied for want of joinder of remaining contesting candidates because for the grant of aforesaid relief joining of remaining contesting party is not required.

This submission may perhaps be acceptable in civil law but is not acceptable in election laws, in view of specific provision contained in sub-section (1) of Section 86 of the Act which lays down mandatorily that the High Court shall dismiss the election petition which does not comply with the provisions of Section 81 of Section 82 of Section 117 of the Act.

13. While discussing nature and scope of election petition, the Supreme Court of India in the case of Inamati Mallappa Basappa Vs. Desai Basavaraj Ayyappa and others (AIR 1958 SC 698) has observed :—

" It is necessary at the outset, therefore, to understand the nature and scope of an Election Petition. As has been observed by us in the judgment just delivered in Kamaraja Thevar Vs. Kunju Thevar, Civil Appeals No. 763 & 764 of 1957 and Civil Appeal No. 48 of 1958: (A. I. R. 1958 SC 687) (A):—

"An election contest is not an action at law or a suit in equity but is a purely statutory proceeding unknown to the common law and that the court possesses no common law power".

"An election petition is not a matter in which the only persons interested are candidates who strove against each other at the elections. The public also are substantially interested in it and this is not merely in the sense that an election has news value. An election is an essential part of the democratic process."

"An election petition is not a suit between two persons, but is a proceeding in which the constituency itself is the principal party interested."

It has been observed in para 22 as under :—

"It is, therefore, clear that there is no power in the Election Commission to allow a petitioner to withdraw or abandon a part of his claim either by having resort to the provisions of 0.23 R. I. C. P. C., or otherwise . . . . "

In the case of B. S. Yadiyurappa Mahalingappa and others (2002) 1 SCC 301 it has been observed in para 8 :—

"It is, therefore, clear, on the authorities of this Court, that those who are mentioned in Section 82 of the said Act must be made parties to an election petition and, if they are not, the election petition is one which does not comply with the provisions of Section 82 and must, therefore, be dismissed by reason of the terms of Section 86(1). . . . . ."

14. In view of Section 98 of the Act, it has been argued by the election petitioner that this court may confine his relief to the declaration with regard to election of the returned candidates only and further relief with regard to declaration of elected candidates on account of recounting may be denied.

15. Section 98 is being misconstrued by the petitioner. It obliges this court to make an order in the nature mentioned in Section 98. It has no overriding effect on Section 86 which mandatorily requires this court to dismiss an election petition in case of violation of Section 81, 82 or Section 117 of the Act. Sub-section (1) of Section 81 leaves no option to this court except to dismiss the election petition when non-compliance of Section 82 of Section 117 is found.

16. Learned counsel for the petitioner has placed reliance on the case of **Jagan Nath Vs. Jaswant Singh and others (AIR 1954 SC 210)**

In the case of **Jagan Nath's case (supra)** it has been observed :—

"The general rule is well settled that the statutory requirements of election law must be strictly observed and that an election contest is not an action at law or a suit in equity but is a purely statutory proceeding unknown to the common-law and that the court possesses no common-law power, it is also well settled that it is a sound principle of natural justice that the success of a candidate who has won at an election should not be lightly interfered with an any petition seeking such interference must stricly conform to the requirements of the law. None of these propositions however, has any application if the special law itself confers authority on a Tribunal to proceed with a petition in accordance with certain procedure and when it does not state the consequences of non-compliance with certain procedural requirements laid down by it.

It is always to be borne in mind that though the election to a successful candidates is not to be lightly interfered with, one of the essentials of that law is also to safeguard the purity of the election process and also to see that people do not get elected by flagrant breaches of that law or by corrupt practices. In cases where the election law does not prescribe the consequence or does not lay down penalty for non-compliance with certain procedural requirements of that law, the jurisdiction of the Tribunal entrusted with the trial of the case is not affected."

17. It may be seen that Section 82 has been amended w.e.f. 28-8-1956. After the said amendment, it has been made mandatory for the petitioner to join all the contesting candidates with a declaration that the petitioner himself or any other candidate has been duly elected. Consequences arising from its non-compliance are provided in sub-section (1) of Sec. 86 of the Act, which mandates the High Court to dismiss election petition if it does not contain compliance of Section 81 or Section 82 or Section 117 of the Act. Thus, the election petitioner does not get any benefit from **Jagan Nath's case (supra)**

18. In the case of **Subhan Khan Vs. J. H. Patel and others (AIR 1996 SC Karnataka 167),** the Returning Officer and District Election Officer were not found necessary parties. On the contrary, it was held in view of the decision rendered in the case of **Jyoti Basu Vs. Debi Ghosal (AIR 1982 SC 983)** that no party may be joined as a party to an election petition otherwise than as provided by Section 82 and 86 (4) of the Act.

19. In the light of the decision of Rajasthan High Court in the case of **Ramdhan Vs. Bhanwarlal (AIR 1985 Raj. 185)** it has been argued that the election petitioner may be permitted to delete the latter part of the relief clause.

In the case of **Ramdhan (supra)**, relief clause itself was missing which was permitted to be added by way of amendment. It was, obviously, not in violation of statutory provision and the same may not be applicable in the present case.

20. It is further submitted that in the light of the decision rendered in the case of **Har Sarup and another Vs. Brij Bhushan Saran and another (AIR 1964 All. 340),** the petitioner may be permitted to join other contesting candiates at this juncture.

In the case of **Har Sarup (supra).** It has been clearly held that the intention of the legislature was that apart from those who had already been impleaded as respondents by virtue of Sec. 82 (a), the petitioner must have further impleaded such other candidates against whom an allegation of corrupt practice has been made even though such candidate may have retired from the election. Thus, the case of **Har Sarup (supra)** is quite distinguishable and is not applicable to the present case.

21. In the result, I find that the relief contained in the relief clause of the election petition implicity contains a declaration that the petitioner himself or any other candidate has been duly elected on account of recounting sought for and the petitioner was statutorily bound by virtue of clause (a) Section 82 of the aforesaid Act to implead all the contesting candidates in the election petition. It is furhter held that the election petition having been submitted in violation of Section 82(a) is liable to be dismissed as provided in sub-section (1) of Section 86 of the Representation of People Act, 1950.

22. Accordingly, I. A. No. 9934/10 is hereby allowed and the election petition is consequently dismissed without order as to costs.

Sd/-
(ABHAY M. NAIK)
Election Judge
27-8-10.

By order,
(BERNARD JOHN)
Secretary,
Election Commission of India.